



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ संख्या: एएआई/एलके/एटी0सी0-50/0046

दिनांक: 05/03/2021

कार्य आदेश (Work Order)

सेवा में,

**M/s MAHIMA ENTERPRISES,
C/66 INDRAPURI,
ASHIANA NAGAR,
PATNA -PIN-800014**

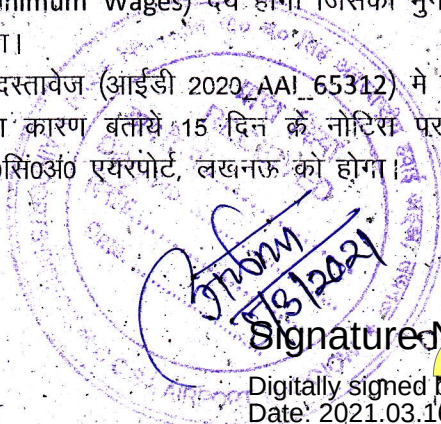
विषय— लखनऊ हवाई अड्डे के एटी0सी0 संकाय में आर0एन0एफ0सी0 डेटा इन्ट्री के जॉब कांट्रैक्ट हेतु कार्य आदेश।

महोदय,

लखनऊ विमानक्षेत्र पर एटी0सी0 संकाय में उपरोक्त कार्य हेतु जॉब कांट्रैक्ट का टेण्डर आपके द्वारा प्रस्तावित दर रुपये 240000/- (दो लाख चालिस हजार रुपये मात्र) वार्षिक अर्थात् रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह (प्रोविडेन्ट फण्ड, ई0एस0आई0, बोनस एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त) के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अतः आपको उपरोक्त कार्य निम्नलिखित नियमों व शर्तों के आधार पर प्रदान किया जा रहा है।

1. यह संविदा कार्य 11-03-2021 से 10-03-2022 के लिये मान्य है।
2. इस पत्र में इंगित नियमों व शर्तों की लिखित सहमति आपको इस पत्र के जारी होने के तीन दिन के अन्दर इस कार्यालय को देनी होगी तथा कार्य 11.03.2021 से प्रारम्भ करना होगा।
3. संयुक्त महाप्रबंधक (एटीएम) जो कि इस निविदा के उपरान्त उपरोक्त कार्य के प्रभारी होंगे, के द्वारा प्रत्येक माह के उपरान्त संतोषजनक कार्य की रिपोर्ट देने के बाद ही आपको भुगतान किया जायेगा।
4. जॉब कांट्रैक्ट का कार्य के प्रत्येक दिन सम्पादित करना होगा तथा साप्ताहिक एवं शासकीय अवकाश के अतिरिक्त कोई भी अवकाश मान्य नहीं होगा।
5. जॉब कांट्रैक्ट हेतु उपरोक्त में वर्णित दर के अतिरिक्त एन्ट्री परिमिट, यात्रा भत्ता या मेडिकल क्लेम इत्यादि जैसे कोई खर्च देय नहीं होंगे।
6. प्रोविडेन्ट फण्ड, ई0एस0आई0, बोनस एवं जी0एस0टी0 का अतिरिक्त भुगतान रिमबर्शमेन्ट बेसिस पर आवश्यक साक्ष्य प्रपत्रों की प्राप्ति के पश्चात् होगा, जो की प्रत्येक माह के बिल के साथ उपलब्ध कराना होगा।
7. आपके बिल पर आयकर की नियमानुसार कटौती होगी।
8. सहायक को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित वेतन भत्ता (Minimum Wages) अथवा समय-समय पर संशोधित दर से निर्धारित वेतन भत्ता (Minimum Wages) देय होगा जिसका भुगतान कार्मिक को प्रत्येक माह की सात तारीख तक करना अनिवार्य होगा।
9. इस जॉब कांट्रैक्ट की अन्य शर्तें टेण्डर दस्तावेज (आईडी 2020 AAI 65312) में वर्णित स्पेशल कन्डीशंस तथा एग्जीमेन्ट के अनुसार होगी जिसको बिना कारण बताये 15 दिन के नोटिस पर निरस्त करने का अधिकार निदेशक, विमानपत्तन, भा0वि0प्रा0, चौ0च0सि0अ0 एयरपोर्ट, लखनऊ को होगा।

01C



भवदीय,

Digitally signed by Mukesh Saxena
Date: 2021.03.16 14:45:36 IST
Location: eProcurement System
Central PSUs
(जी0सी0 सिन्हा)
महाप्रबंधक (एटीएम)